	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इन्तजार सम्मन होकर मिसल दिनांक 10.11.16 को पेश हो। G7 SDO Sarwan
10.11.16	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इन्तजार सम्मन होकर मिसल दिनांक 21.12.16 को पेश होवे। G7 SDO Sarwan
21.12.16	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इन्तजार सम्मन होकर मिसल दिनांक 15.2.17 को पेश हो। G7 SDO Sarwan
15.2.17	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है वास्ते इन्तजार सम्मन होकर मिसल दिनांक 25.4.17 को पेश हो। G7 SDO Sarwan 25.4.17 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 में राजस्व कैम्प में राजीनामा हेतु दि. 22.6.17 ग्रा.पं. सोरण को पेश हो। G7 उपखण्ड अधिकारी सरवाड़
22.6.17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी सं. 1 से 5, 7, 10 हाजिर। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रामनाथ पिता जोद् कौम बैरवा के खसरा नम्बर 802।। रकबा 00-03-00 जै.मु. चाह खातेदारी में है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, दिनांक 20.7.16 को वादी के उसके अतिरिक्त वादी ने प्रतिवादीगण चारो ओर कांटो की बाड़ लगाने लग गए

रा मु जो.

रामदेव
रामस्वरूप
रंगलाल

लगायत 10 को [illegible]
लड़ाई - झगड़ा करने पर आमादा हो गए तथा धमकाया कि अभी तो केवल बाड़ ही लगायी है यदि हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही की तो तुझे बेदखल करके हम लोग कब्जे कर लेंगे अतः यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 10 व उनके रिश्तेदारान, नौकर चाकर इत्यादि को सदैव के लिए वादग्रस्त आराजी व उसके लगवा वादी के कब्जे की आराजी मे वादी के संयुक्त कब्जे काश्त आने जाने उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने उस पर कब्जा करने इत्यादि से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। व ऐसा कार्य करने से रोका जावे जिससे वादी वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त से वंचित होवे। व वादी के कब्जे जाने मे बाधा उत्पन्न होवे। वादी को वाद का खर्चा प्रतिवादी से दिलाया जावे।

अ.नि. [illegible]

अ.नि. भैरूंजी

अ.नि. कालू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादी वकील को सुना। प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 से 10 को सुना - प्रतिवादीगण ने वादी के कथनो को गलत बताया है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 802/1 रकबा 0.03.00 बीघा गै.मु. चाह पर कोई कांटो की बाड़ नही लगायी है तथा न ही कब्जा आधिपत्य करना नही चाहते है। वादग्रस्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन स्वीकार करने मे सहमति व्यक्त की है अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 को स्वयं को व उनके रिश्तेदारान व नौकर चाकर इत्यादि को सदैव के लिए ग्राम बाड़े ग्राम बड़ला की जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं. 148-123 मे दर्ज खसरा नम्बर 802/1 रकबा 0.03.00 बीघा गै.मु. चाह रामनाथ पुत्र पिता कालू कौम बैरवा के नाम दर्ज है के कब्जे की आराजी मे वादी के संयुक्त कब्जे काश्त आने जाने उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने उस पर कब्जा करने इत्यादि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करें। डिक्री पर्चा इस आशय का जारी किया जावे।

हुक्मा

निर्णय न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प शेरगढ़ के मजमे आम मे सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत शिविर
मरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
[illegible] (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
मसूदा

Scanned by CamScanner